



@Shahjahanpurpol



प्रेस नोट- थाना सदर बाजार दिनांक 15.07.2024

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मोहल्ला एमनजई जलालनगर में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 14.07.2024 को वादी श्री राजकुमार पुत्र लाल बहादुर नि० मो० एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर तहरीर दी गई कि उसके पडोस के रहने वाले गुड्डू उर्फ इसरार पुत्र नामालूम नि० मो० एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने पडोस में मंसूर की दुकान के अन्दर ले जाकर उसके साथ गलत काम करने, जातिसूचक गाली एवं जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 472/24 धारा 65(2),351 (2)/(3),137(2), 352 बी.एन.एस. व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा की जा रही है।

उक्त प्रकरण में अपराध की गम्भीरता को देखते हुए श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्रीमती सौम्या पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गुड्डू उर्फ इसरार पुत्र फैजुल खाँ, नि० मो० एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

गुड्डू उर्फ इसरार पुत्र फैजुल खाँ, नि० मो० एमनजई जलालनगर, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 50 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु०अ०सं० 472/24 धारा 65(2),351 (2)/(3),137(2), 352 बी.एन.एस. व 5M/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ०नि० श्री मो० मतीन खाँ, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
2. कां० 2686 मनीष कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर
3. कां० 2662 दीपक साहू, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर